

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 100/MP-LA/2020-(Bye)

Dated: 31<sup>st</sup> October, 2020

**ORDER**

Whereas, the Commission had issued a Notice No. 100/MP-LA/2020-(Bye), dated 24<sup>th</sup> October, 2020 to Sh. Visahulal Singh, BJP Candidate from 87-Anuppur Assembly Constituency for violation of the provisions contained in Para (2) & Para (5) of Part I of 'General Conduct' of Model Code of Conduct for the Guidance of Political Parties and Candidates and disregard of the advisory issued by the Commission vide its letter No. 437/6/INST/ECI/FUNCT/MCC/2019 dated 29<sup>th</sup> April, 2019 during ongoing bye-elections to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh; and

2. Whereas, the Commission has received a reply from Sh. Visahulal Singh to the aforesaid Notice on 27<sup>th</sup> October, 2020; and

3. Whereas, Sh. Visahulal Singh, in the aforesaid reply, has inter-alia submitted the following;

क. उनका संदर्भित कथन कांग्रेस प्रत्याशी श्री विश्वनाथ सिंह द्वारा विधानसभा निर्वाचन के संबंध में भरे गये निर्वाचन फार्म के बारे में सम्पत्ति तथा अन्य तथ्यों को लेकर ब्योरा दिये जाने के बारे में था।

ख. यह विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि पहली/एक पत्नी के जीवित रहते हुए कोई भी व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं कर सकता और यदि करता भी है अथवा किसी और को पत्नी के रूप या किसी भी रूप में अपने साथ रखता है तो वह अवैध है तथा ऐसी दूसरी महिला को कानून की भाषा में रखैल शब्द से संबोधित किया गया है। इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 की उपधारा 3 का स्पष्टीकरण अवलोकनीय है।

ग. यह कि प्रार्थी वरिष्ठ व्यक्ति है। इस तरह वृद्ध होने के कारण बोलने में कभी शब्दों में अस्पष्टता मालूम पड़ती है। श्री जयप्रकाश अग्रवाल के बारे में जो शब्द दुर्दशा होना बताया जा रहा है उसका उपयोग प्रार्थी द्वारा नहीं दिया गया था बल्कि वह वास्तविक शब्द सुधार था। श्री जयप्रकाश अग्रवाल के बारे में कहे गये पूरे शब्दों को यदि पूर्णतया एक साथ पढा जायेगा तो उससे यह स्पष्ट है कि उसे सुधारने और रास्ते में लाने की बात कही गई प्रकट होती है। कोई भी व्यक्ति अपने करीबी और दोस्त शुभचिंतक के बारे में ही ऐसा कह सकता है।

घ. श्री जयप्रकाश अग्रवाल के बारे में प्रार्थी न तो कोई दुर्भावना रखता है और न ही उसके बारे में कोई आपत्तिजनक बात कही गई है।

4. Whereas, the Commission has carefully considered the matter and is of considered view that Sh. Visahulal Singh has violated Para (2) & Para (5) of Part I of 'General Conduct' of Model Code of Conduct for the Guidance of Political Parties and Candidates and disregarded the advisory issued by the Commission vide its letter No. 437/6/INST/ECI/FUNCT/MCC/2019 dated 29<sup>th</sup> April, 2019; and

5. Now, therefore, the Commission hereby condemns the impugned statement made by Sh. Visahulal Singh, BJP Candidate from 87-Anuppur Assembly Constituency and he is advised once again desist from using any such word or statement while making public utterances during the period of Model Code of Conduct.

By Order,

  
(MADHUSUDAN GUPTA)  
SECRETARY

To,  
Shri Visahulal Singh,  
BJP Candidate from 87-Anupur Assembly Constituency,  
Madhya Pradesh.